संख्या- 19 /2026/ CNG 69 /001-9-7099-278-2024

प्रेषक,

पारस नाथ,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2026

विषय:-सी0एम0 ग्रिड्स योजनान्तर्गत नगर निगम लखनऊ में विभूति खण्ड में मण्डी परिषद कार्यालय के बगल से टेक्नो टावर के सामने तक, पिकप भवन के पीछे से डा० चन्द्रा क्लीनिक तक, पी०एन०बी० ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बगल से बस डिपो तक, आई०जी०पी० चौराहा से मारूति सुजकी शोरूम तक एवं एल्डिको एलीगेन्स से डी०एल०एफ० माई पैड होते हुए समिट बिल्डिंग तथा समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-33/2025/749/001-9-7099-278-2024, दिनांक 14.02.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सी.एम. ग्रिड्स योजनान्तर्गत नगर निगम लखनऊ में विभूति खण्ड में मण्डी परिषद कार्यालय के बगल से टेक्नो टावर के सामने तक, पिकप भवन के पीछे से डा० चन्द्रा क्लीनिक तक, पी०एन०बी० ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बगल से बस डिपो तक, आई०जी०पी० चौराहा से मारूति सुजकी शोरूम तक एवं एल्डिको एलीगेन्स से डी०एल०एफ० माई पैड होते हुए समिट बिल्डिंग तथा समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य हेतु धनराशि ₹6631.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि ₹2088.81 लाख अवमुक्त की गयी है। उपर्युक्त परियोजना हेतु स्वीकृत निविदा (टेंडर) की धनराशि ₹6341.91 लाख है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा के पत्र संख्या-433/यूरिडा/36(10)/ लखनऊ/2025, दिनांक 11.08.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त नगर निगम लखनऊ की प्रश्नगत सड़क के विकास कार्य हेतु निविदा लागत के सापेक्ष संशोधित राज्यांश ₹5707.71 लाख एवं उसके सापेक्ष ₹1906.58 लाख (₹उन्नीस करोड़ छः लाख अट्ठावन हजार मात्र) की द्वितीय किश्त की धनराशि उक्त संदर्भित

शासनादेश दिनांक 14.02.2025 में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,06,58,000 (रुपये उन्नीस करोड़ छह लाख अट्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217058001100 मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम(अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally signed by Paras Nath
Date: 21-08-2026 13:55:22
(पारस नाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 19 /2026/ CM&G(1) /001-9-7099-278-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सी.ई.ओ. यूरिडा लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ उ.प्र.।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
पारस नाथ
अनु सचिव।